न्यायालय श्री राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण याचिका क. 3287 /2012 – (प्र० वें० अ० /2013)

श्री बाबूराव .... पुनरीक्षणकर्ता

(छिंदवाड़ा)

विरुद्ध

श्री केशवराव .... उत्तरवादी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 सहपठित धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता,

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थी है:–

1. यह कि आवेदक ने राजस्व अपील प्रकरण क. .... में पारित आदेश दिनांक के विरुद्ध माननीय न्यायालय श्री के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की थी।
2. यह कि आवेदक के अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका एवं आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले वकालतनामा एवं शपथ पत्र आवेदक के पास डॉक द्वारा प्रेषित किये थे क्योंकि आवेदक को दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे इसलिये आवेदक के अनुरोध पर उसके अधिवक्ता द्वारा पुनः उसके निवास स्थान पर दस्तावेज प्रेषित किये गए। दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात आवेदक द्वारा उपरोक्त याचिका एवं अन्य दस्तावेज अधिवक्ता को प्रेषित किये गये जिसके प्राप्त होने के पश्चात आवेदक के अधिवक्ता द्वारा याचिका न्यायालय श्री के समक्ष संभागीय कार्यालय जबलपुर में प्रस्तुत की गई।
3. यह कि पुनरीक्षण याचिका के प्रस्तुत करने में हुआ विलम्भ उपरोक्त कारणवश हुआ था जानबूझकर नहीं जो कि विलम्ब का समुचित कारण है परन्तु आवेदक द्वारा विलम्ब माफी के लिये आवेदन पत्र याचिका के साथ असावधानीवश एवं याचिका प्रस्तुत करने के लिये अवधि की गणना की भूल के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिये न्यायालय श्री द्वारा दिनांक 26.06.2013 को पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई थी।
4. यह कि आवेदक द्वारा याचिका के साथ विलम्ब माफी का आवेदन पत्र जानबूझकर नहीं वरन् उपरोक्त कारणवश प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।
5. यह कि उपरोक्त दर्शित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय श्री द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2013 पर पुर्नविचार किया जाना एवं पूर्व प्रस्तुत याचिका को पुनः मूल नम्बर पर कायम किया जाना न्यायहित में आचश्यक है।

प्रार्थना

अतः आवेदक प्रार्थना करता है कि न्यायालय श्री द्वारा पुनरीक्षण याचिका क. 3287/2012 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2013 पर पुर्नविचार किया जावे एवं याचिका को पुनः मूल नम्बर पर कायम किया जावे।

जबलपुर

दिनांक :- 09/07/2013

अधिवक्ता वास्ते आवेदक

9827379008

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3431–एक/13 जिला –छिन्दवाडा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.11.2015	आवेदक की ओर से श्री सुनील जैन अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदकगण पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3287–एक/2012 आदेश दिनांक 26.6.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरवलोकन प्रकरण कमांक 3431–एक/2013 के तथ्यों पर उभय पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरवलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 3287–एक/2012 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 26.6.2013 से किया जा चुका है । रिव्यु प्र0 क0 3431–एक/2013 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरवलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन	

स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य